उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांक–**25621–24** /ऋण/एनएसएफडीसी/2017–18 दिनांक–**06.11.2017**

समस्त शाखा प्रबन्धक, **''स्मरणपत्र''**
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

कृपया प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या सी–55/ऋण/एनएसएफडीसी/2017–18 दिनांक 06.10.2017 का संदर्भ ग्रहण करने करें, जिसके द्वारा नेशनल शेड्यूल्ड कास्टस फाइनेंस एण्ड डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन(एनएसएफडीसी) नई दिल्ली से पुनर्वित्त के अन्तर्गत वित्तीय सहायता/ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु बैंक की शाखाओ द्वारा दिनांक 01.04.2014 से अनुसूचित जाति के संवर्ग के ऋण लाभार्थियों जिनके ऋण खातें बकायेदार की श्रेणी में नही है और अवशेष कुल आउटस्टैडिंग राशि (मूलधन+ब्याज) रूपया 5.00 लाख से कम है, ऐसे खातों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रधान कार्यालय भेजने हतु निर्देशित किया गया था।

बड़ा खेद का विषय है कि उक्त संदर्भित सूचनाएं किसी भी शाखा से प्राप्त नही हुई है। अतः आपको सचेत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या सी–55 दिनांक 06.10.17 के साथ प्रेषित निर्धारित प्रारूप पर दिनाक 15.11.2017 तक ऋण लाभार्थियों की सूचना **gmloan.upsgvb@gmail.com** पर मेल द्वारा भेजना सुनिश्चित करें, ताकि बैंक की संकलित सूचना का परीक्षण एनएसएफडीसी, नई दिल्ली से कराने की कार्यवाही की जा सकें।

इस कार्य को प्राथमिकता दी जाएं।

ह0/–
(के0 बी0 लाल)
सहायक महाप्रबन्धक/
योजनाधिकारी

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्ययवाही हेतु प्रेषित–

1. उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर) उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि बैंक की शाखाओं को ई–मेल पर अपलोड कराने हेतु।
2. समस्त मण्डल पर्यवेक्षक,उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
3. निजी सचिव(प्रबन्ध निदेशक)उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0 का0, लखनऊ,प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।

ह0/–
सहायक महाप्रबन्धक/
योजनाधिकारी